



अज अदालत सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी, शिव

वादीगण	वनाम	प्रतिवादीगण
मेहरसिंह पुत्र पेमाराम जाति जाट, निवारी फनावड़ा, गिड़ा हाल निवारी नया उण्डू तहरील शिव, जिला बाड़मेर		भंवरलाल पुत्र दुर्गराम वगैरा (03)

किसम मुकदमा राजस्व वाद (88)

मुकदमा नम्बर 256 / 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
29.10.2025	<p>प्रार्थीगण/वादीगण/अपीलाण्ट के अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह शियाम द्वारा यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट जरिये रजिस्टर्ड डाक नोटिस/सम्मान तलब होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 01.12.25 को पेश हो।</p> <p> सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)</p>	
01.12.25	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो कारण इस्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिका दिनांक 21.01.26 को पेश हो।</p>	
21.1.26	<p>पत्रावली पेशा नहीं करील उपस्थित। पत्रावली करके प्रतिवादीगण की तामिली हे दिनांक 02.02.26 को पेश हो।</p> <p> सहायक कलक्टर शिव (बाड़मेर)</p>	
02.2.26	<p>पत्रावली पेश हुई। वादी/प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित/अनुपस्थित। पत्रावली में आज कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं होने के कारण इस्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार दिनांक 27.2.26 को पेश हो।</p>	



तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

27.2.26

पत्रावली पेश हुई। श्रीमान पीठासीन अधिकारी
केदीगर कार्यों में व्यस्त होने के कारण इल्टवा
होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा
दिनांक 6.4.26 को पेश हो।

06.04.26

पत्रावली पेश। वादी वकील अनुपस्थित।
पत्रावली में प्रभावी चैरवी हेतु न्यायालय
समय में वादी व वादी वकील को
रुक . रुक जात आवाज दी जाने के बावजूद
कोर्ट में उपस्थित नहीं। अतः पत्रावली में
प्रभावी चैरवी नहीं होने व अनुपस्थित
रहने पर इतना पत्रावली उली रहेज
पर अदम हाजरी व अदम चैरवी में
खारिज की जाती हैं।

पत्रावली मंवर से एम होजर, टाबिल
दफ्तर हों।

सहायक कलक्टर
शिव (बाड़मेर)